न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
10 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	29.01.2016	13.05.2016

श्री मदनलाल गूजर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1.श्री नरेन्द्र मंगल पुत्र श्री ब्रजमोहन मंगल एफ.बी.ओ. मैसर्स अशोक जनरल स्टोर छतरी चौराहा के पास देवली जिला टोंक (राज0) निवासी छतरी चौराहा के पास सदर बाजार देवली जिला टोंक

2. मैसर्स अशोक जनरल स्टोर छतरी चौराहा के पास देवली जिला टोंक (राज0)

3.श्री सुखी यादव पुत्र श्री धामू यादव नॉमिनी मैसर्स पायस फूड्स इण्डिया प्रा0लि0 ए–207, आई.पी. आई.ए. रोड नं0 5 कोटा राज0 निवासी ए–207–ए, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया रोड नं05 कोटा, आनंदपुर फूटा तालाब, कोटा राज0।

4. मैसर्स पायस फूड्स इण्डिया प्रा0लि0 ए–207, आई.पी.आई.ए. रोड नं0 5 कोटा राज0

.............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)
एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूजर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री अनिल मिश्रा, अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

:–निर्णय–:

प्रकरण श्री मदनलाल गूजर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक द्वारा पेश कर निवेदन किया है कि मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26.07.2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमाक 53 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक आवण्टित किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतिया न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2015 को समय 02.01 मैसर्स अशोक जनरल स्टोर छतरी चौराहा के पास देवली जिला टोंक पहुंचा वहां पर श्री नरेन्द्र मंगल पुत्र ब्रजमोहन मंगल मिला को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया जिन्होने स्वंय को मैसर्स अशोक जनरल स्टोर छतरी चौराहा के पास देवली का एफ.बी.ओ. होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर अनुज्ञा पत्र दिखाया ।

आवेदक द्वारा श्री नरेन्द्र मंगल की उपस्थिति में मैसर्स अशोक जनरल स्टोर छतरी चौराहा के पास देवली का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु, दुकान के रसगुल्ला अलग–अलग ब्रॉड , सोन पपडी व बिस्किट, नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थो के साथ **रस्क टोस्ट कैलोरी किस्पी बाईट पॉली पैक (Rusk Toast Kalory Crispy Bite Poly Pack)** भी रखा हुआ था। जो 300–300 ग्राम के 22 नग दुकान की रैक में वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए में को खा0मा0सु0 एवं मानक अधि0 2006 के तहत देखने एवं निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णायक अधिकारी
टोंक (राज0)

अंदेशा हुआ तो श्री नरेन्द्र मंगल को फार्म 5ए फॉर्म दो प्रतियों में भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर एफ.बी.ओ. नरेन्द्र मंगल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व मैने हस्ताक्षर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रस्क टोस्ट कैलोरी क्रिस्पी बाईट पॉली पैक (Rusk Toast Kalory Crispy Bite Poly Pack)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय कर रहा हूँ, 300–330 ग्राम के 4 नग कुल 1200 ग्राम **रस्क टोस्ट कैलोरी क्रिस्पी बाईट पॉली पैक** के पैकेट साफ प्रिन्टेड का चयन कर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री नरेन्द्र मंगल को रू0 76/– अक्षरे छियत्तर रू0 विक्रेता के मांगे अनुसार नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने चयनशुदा 300–300 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 1200 ग्राम **रस्क टोस्ट कैलोरी क्रिस्पी बाईट पॉली पैक (Rusk Toast Kalory Crispy Bite Poly Pack)** को 300–300 ग्राम के चार भाग तैयार कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो में रखा एवं प्रत्येक डिब्बे को एयरटाइट बंद किया। चारो नमूना भागों के लिये चार लेबर तैयार कर लेबलो पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–1174 अंकित किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग लेबलों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. की हस्तारशुदा पेपर स्लिप नं0 I–1174 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप पर व रेपर दोनों पर आवें, चारो नमूना मौके पर तैयार किये फर्द रिपोर्ट तैयार कर व गवाह –विक्रेता को पढकर, सुनाकर हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री नरेन्द्र मंगल एफ.बी.ओ. मैसर्स अशोक जनरल स्टोर छतरी चौराहा के पास देवली से खाद्य पदार्थ **रस्क टोस्ट कैलोरी क्रिस्पी बाईट पॉली पैक (Rusk Toast Kalory Crispy Bite Poly Pack)** का वारण्टी बिल मांगने पर विक्रेता ने बतौर वारण्टी व निर्माता मैसर्स पायस फूड्स इण्डिया प्रा0लि0 ए–207, आई.पी. आई.ए. रोड नं0 5 कोटा का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 5573 दिनांक 18.10.2015 की मूल प्रति प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया एवं दो फार्म नं0 6 की व्रति लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर किया व एक भाग व बन्द लिफाफा कार्यालय मे जमा करवाया एवं शेष दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म 6 की दो प्रतियों मे आउटर कवर में बंद किया, नमूने का चौथा भाग फार्म नं0 6 के साथ सीलबन्द कर डी.ओ. को जमा कराकर जमा रसीद प्राप्त की तथा नमूने को खाद्य विश्लेषक अजमेर को भेजकर नमूना जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

निर्माता एवं पैंकिगकर्ता होने के कारण प्रबन्धक मैसर्स पायस फूड्स इण्डिया प्रा0लि0 ए–207, आई.पी.आई.ए. रोड नं0 5 कोटा को फार्म ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत पत्र प्रेषित किया तो उक्त फर्म के व्यवहारी ने निर्माता एवं पैंकिगकर्ता की जिम्मेदारी लेते हुए फर्म से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में डाक द्वारा प्रस्तुत किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/4967 दिनांक 28.12.15 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 845/एफ.एस.एस. एक्ट/2015/913 दिनांक 08.12.15 के अनुसार विक्रेता एफ.बी.ओ. श्री नरेन्द्र मंगल से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **रस्क टोस्ट कैलोरी क्रिस्पी बाईट पॉली पैक (Rusk Toast Kalory Crispy Bite Poly Pack)** .**एस.एस.एस.ए. की धारा 3(1) (Zf)(C)** का उल्लंधन करने के कारण **मिथ्याछाप (Miss-Branded)** स्तर का होना पाया गया। जिसकी सूचना अप्रार्थीगण को दी गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णायक अधिकारी
टोंक (राज.)

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Miss-Branded)** स्तर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2016 में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत न कर तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना जुर्म स्वीकार किया। बहस प्रार्थी सुनी गयी। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रस्क टोस्ट कैलोरी क्रिस्पी बाईट पॉली पैक (Rusk Toast Kalory Crispy Bite Poly Pack)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया नमूना **रस्क टोस्ट कैलोरी क्रिस्पी बाईट पॉली पैक (Rusk Toast Kalory Crispy Bite Poly Pack)** जांच में **मिथ्याछाप** पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री नरेन्द्र मंगल पुत्र श्री ब्रजमोहन मंगल एफ.बी.ओ. मैसर्स अशोक जनरल स्टोर छतरी चौराहा के पास देवली जिला टोंक (राज0) निवासी छतरी चौराहा के पास सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 पर 20,000/–(अक्षरे बीस हजार रू0) एवं अप्राथी श्री सुखी यादव पुत्र श्री धामू यादव नॉमिनी मैसर्स पायस फूड्स इण्डिया प्रा0लि0 ए–207, आई. पी.आई.ए. रोड नं0 5 कोटा राज0 निवासी ए–207–ए, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया रोड नं05 कोटा, आनंदपुर फूटा तालाब, कोटा राज0 पर 40,000/–(अक्षरे चालीस हजार रू0) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.05.2016 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय आज दिनांक 12.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णायक अधिकारी
टोंक (राज०)